



किस्म मुकदमा 2110/22 मुकदमा नम्बर 153 / 20 22

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ हुक्म की तामी में जारी हुए
-------------	-------------------------------	---

14/8/22

प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री श्री राजन वि. शर्मा यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 52, 188 R.T. Act राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है । जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21/09/2022 को पेश है 


21/9/22

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपरो. प्रतिवादी/उपरो. के सम्मन तलब। अदालत तलब भ्रष्टाचार, बन्तप्राप्त होकर आईव्या दिनांक 29/12/22 को पेश हो। 

27/12/22

पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यों में व्यस्त है, मिसल इल्लवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 21/01/23 को पेश हो।

11/01/23

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपरो. मय वादी स्वयं उपरो. वादी वकील ने शर्चना पत्र वादते पत्रावली पेशी पर लेने बावज़ पेश कर निवेदन किया कि पत्रावली आज पेशी नारीरव पर ली जावे। वादी वकील ने शर्चना पत्र पर पत्रावली आज पेशी नारीरव पर ली गई। वादी वकील ने शर्चना पत्र वादते वाद विद्रो करने बावज़ 

ससद

पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवान के उद्गरण
इस न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त अनवान के उद्गरण
में हमारे गांव के मोरिय लोगो ने आपसी सम्झौता उरके
राजिनामा उरवा दिया है। अतलिये हम उक्त उद्गरण को भागे
नही चलाना नही चाहे है। अतलिये उक्त अनवान के उद्गरण
को जारिये राजिनामा विज्ञो किया जाता है।

वादी वकील द्वारा उल्लेख पत्र के न्यायालय में
सवीकार किया जातर उक्त अनवान के उद्गरण को जारिये
राजिनामा विज्ञो किया जाता है। परायली फैसल सुमार
होतर दारिल सफल हो। संख्या सै कम हो।

